अध्याय-14

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा आयोजित मौखिक साक्ष्य के दौरान प्राप्त सूचनाओं की समीक्षा

14.1 संसदीय राजभाषा समिति का गठन राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(4) के अंतर्गत वर्ष 1976 में किया गया था। यह उच्चाधिकार प्राप्त संसदीय समिति है जो संघ के सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में की गई प्रगति की समीक्षा करती है। इसमें 30 संसद सदस्य होते हैं, 20 लोक सभा से और 10 राज्य सभा से। केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों/बैंकों में राजभाषा के कार्य की प्रगति के निरीक्षण कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस समिति को तीन उप समितियों में विभाजित किया गया है । समिति की ये तीनों उप समितियां देश के सभी भागों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, संस्थानों आदि का मौके पर जाकर राजभाषा संबंधी निरीक्षण करती हैं । इन निरीक्षणों के दौरान निरीक्षणाधीन कार्यालयों से प्राप्त सूचनाओं से समिति को जब यह लगता है कि किसी कार्यालय विशेष में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की दृष्टि से वहां संघ की राजभाषा नीति का सुचारू रूप से कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है या उन्हें विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और स्थिति में सुधार सुनिश्चित करने के लिए संबंधित मंत्रालय या मुख्यालय का हस्तक्षेप नितांत आवश्यक है तो उस मंत्रालय के सचिव एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों के प्रमुखों को समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य के लिए बुलाया जाता है। इस संबंध में सचिव तथा प्रत्येक संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के लिए एक विशेष प्रश्नावली तैयार की जाती है जिसमें कुछ सामान्य तथा कुछ अन्य प्रश्न जो कार्यालय विशेष से जुड़े होते हैं। इन प्रश्नावलियों के माध्यम से अपेक्षित सूचना/आंकड़े पहले लिखित रूप में प्राप्त कर लिए जाते हैं और उनका गहन अध्ययन किए जाने के बाद कार्यालयों से संबंधित पूरक प्रश्न तैयार किए जाते हैं ।

14.2 समिति अब तक 882 गण्यमान्य व्यक्तियों के मौखिक साक्ष्य ले चुकी है जिनमें उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सचिव, विश्वविद्यालयों के कुलपति तथा विभिन्न संस्थानों/उपक्रमों/बैंकों के कार्यालयाध्यक्ष शामिल हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी को समिति जो प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है उसमें मौखिक साक्ष्य कार्यक्रमों के दौरान इन विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझावों एवं विचारों का समावेश भी किया जाता है। राजभाषा नीति को आगे बढाने की दृष्टि से इन विशिष्ट व्यक्तियों के योगदान से समिति लाभान्वित हुई है और समिति का विचार है कि यह विचार-विमर्श निरंतर जारी रहना चाहिए।

14.3 यहां यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि समिति के मौखिक साक्ष्य कार्यक्रम और समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप समिति द्वारा विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) के अध्यक्षों एवं उनके सदस्य कार्यालयों के प्रमुखों के साथ किए जाने वाले विचार-विमर्श कार्यक्रम दोनों भिन्न हैं। देश भर में विभिन्न नराकास के साथ विचार-विमर्श में समिति के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में समिति की सात सदस्यीय आलेख एवं साक्ष्य उप समिति विस्तृत विचार-विमर्श करती है जिसमें मुख्यतया नराकास द्वारा प्राप्त उपलब्धियों व उनकी समस्याओं पर चर्चा की जाती है। जबकि, संसदीय राजभाषा समिति द्वारा आयोजित साक्ष्य कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष सहित सभी 30 सदस्य शामिल होते हैं जो मौखिक साक्ष्य के लिए बुलाए गए मंत्रालय के सचिव तथा उनके प्रशासनाधीन कुछ कार्यालय प्रमुखों के साथ उच्च स्तरीय चर्चा करते हैं। मौखिक साक्ष्य में मुख्यतया राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से जुड़ी मूलभूत समस्याओं तथा उनके निदान के लिए संबंधित कार्यालयों द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर ध्यान केंद्रित रहता है। साक्ष्य के दौरान जो तथ्य

सामने आते हैं उनके आधार पर समिति न केवल संबंधित कार्यालयों को अपनी दिशा निर्धारित करने के लिए सुझाव देती है अपितु इन्हीं तथ्यों के आधार पर राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के लिए कार्य योजना भी तय करती है। अत: समिति के मौखिक साक्ष्य कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं ।

14.4 यह सर्वविदित है कि किसी भी देश-काल अथवा परिस्थिति में शिक्षा ने सदा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । सभी विकासोन्मुख कार्यकलापों का आधार शिक्षा ही है । शिक्षा जिस तरह हर क्षेत्र को प्रभावित करती है उसी तरह शिक्षा भी अन्य क्षेत्रों में हो रहे नित नये परिवर्तनों, आविष्कारों व उपलब्धियों से प्रभावित होती है । सब जानते हैं कि आज का युग सूचना एवं प्रौद्योगिकी का युग है और हमारी शिक्षा भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती । आज के विश्व परिप्रेक्ष्य में आर्थिक प्रगति के लिए कम्पयूटरों की महत्वपूर्ण भूमिका है । यदि कम्पयूटर शिक्षा अनिवार्य रूप से हिंदी में उपलब्ध कराई जाए तो भविष्य में यह ग्रामीण और छोटे शहरों के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं बल्कि देश की प्रगति के लिए भी वरदान साबित हो सकती है ।

14.5 इसी को दृष्टिगत रखते हुए समिति ने अपने निर्धारित कार्यक्रमानुसार 30 एवं 31 अगस्त, 2006 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दो सचिवों तथा सूचनां प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव और इन मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 19 कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्षों का मौखिक साक्ष्य लिया जिसका विवरण निम्नानुसार है--

क्रम सं0	दिनांक	मंत्रालय/कार्यालय का नाम
1.	30 अगस्त, 2006	1. सचिव, माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग, नई दिल्ली 2. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली 3. कुलपति, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली 4. अध्यक्ष, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली 5. आई आई टी, चेन्नई 6. आई आई टी, कानपुर 7. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली 8. निदेशक, तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, चंडीगढ 9. निदेशक, भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलौर 10. निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली 11. कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली 12. कुलपति, उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग 13. कुलपति, हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद 14. सचिव, प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, नई दिल्ली 15. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली 16. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली

2.	31 अगस्त, 2010	1. सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली 2. महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली 3. कार्यकारी निदेशक, प्रगत संगणन विकास केन्द्र (सीडैक), पुणे 4. कार्यकारी निदेशक, डी ओ ई ए सी संस्थान, नई दिल्ली 5. महानिदेशक, भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, नई दिल्ली 6. कार्यकारी निदेशक, अर्नेट इंडिया, नई दिल्ली

14.6 मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिवों एवं उनके नियंत्रणाधीन कार्यालयों के प्रमुखों के साथ हुए मौखिक साक्ष्य कार्यक्रमों से इन कार्यालयों में संघ सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार हिन्दी का प्रयोग क्रमिक रूप से बढाने की दिशा में आशातीत सफलता मिली है । पूर्वोल्लिखित मंत्रालयों एवं कार्यालयों के मौखिक साक्ष्य कार्यक्रमों की उपलब्धियों का विवरण इस खंड के अध्याय - 9 एवं 10 में दिया गया है।

<u>संसदीय राजभाषा समिति के समक्ष अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड एवं रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन 4 कार्यालयों के प्रमुखों का मौखिक साक्ष्य</u>

14.7 पूरे देश भर में फैले भारतीय रेल के विशाल नेटवर्क में निस्संदेह हिन्दी को देश के कोने-कोने तक पहुंचाने का सामर्थ्य है। भारतीय रेल देश में न सिर्फ सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है बल्कि इसके नियंत्रणाधीन अनेक महत्वपूर्ण तकनीकी एवं प्रशिक्षण संस्थान भी हैं । हिन्दी के व्यापक प्रचार-प्रसार में रेलवे जैसे जन साधारण से जुड़े विभाग की भूमिका बहुत अहम है। इसके दृष्टिगत समिति ने दिनांक 13 फरवरी, 2008 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन 4 कार्यालयों के प्रमुखों के साथ मौखिक साक्ष्य कार्यक्रम का आयोजन किया जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम सं0	दिनांक	कार्यालय का नाम
1.	13 फरवरी, 2008	1. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली 2. प्रबन्ध निदेशक, भारतीय रेल निर्माण कंपनी (इरकान), नई दिल्ली 3. प्रबन्ध निदेशक, भारतीय रेल तकनीकी एवं आर्थिक सेवाएं लि0 (राइटस), गुडगांव 4. प्रबन्ध निदेशक, भारतीय रेल वित्त निगम लि0 (आई. आर. एफ. सी.), नई दिल्ली 5. महानिदेशक, रेलवे स्टाफ कॉलेज, बडोदरा

14.8 संसदीय राजभाषा समिति के समक्ष रेलवे बोर्ड (रेल मंत्रालय) के अध्यक्ष एवं रेल मंत्रालय के चार नियंत्रणाधीन कार्यालयों के प्रमुखों के साथ हुए मौखिक साक्ष्य के आधार पर समिति निम्नलिखित सुझाव देती है -

(i) रेल मंत्रालय भविष्य में केवल ऐसे इलेक्ट्रानिक यंत्र/उपकरण ही खरीदे और प्रयोग में लाए जिन पर देवनागरी में भी कार्य करने की सुविधा हो । वर्तमान में जो टेलिप्रिंटर/टेलेक्स, कम्पयूटर, शब्द संसाधक आदि केवल रोमन के हैं, उन पर अविलम्ब देवनागरी में कार्य करने की सुविधा सुलभ कराई जानी चाहिए।

(ii) नए सृजित हिन्दी पदों तथा खाली पड़े हिन्दी पदों को तत्काल भरा जाए ।

(iii) हिन्दी कंप्यूटिंग फाउंडेशन नामक संस्थान केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों विशेषकर रेलवे विभाग में हिन्दी को अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिन्दी भाषा का ज्ञान देने, कंप्यूटर पर हिन्दी सिखाने तथा हिन्दी सापऊटवेयर विकसित करने के संबंध में प्रशंसनीय कार्य कर रहा है । इस संस्थान को रेल मंत्रालय की ओर से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर सशक्त बनाया जाना चाहिए ताकि स्व-विकसित प्रौद्योगिकी के सदुपयोग से रेल मंत्रालय की बाहरी संसाधनों (**Out sourcing)** पर निर्भरता समाप्त की जा सके।

(iv) रेलवे बोर्ड तथा देश भर में स्थित उसके अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों में कंप्यूटरों में उपयोग में लाए जा रहे हिन्दी सापऊटवेयरों का मानकीकरण किया जाना चाहिए।

(v) पूरे देश में और विशेष रूप से **"ग"** क्षेत्र में स्थित राज्यों के रेलवे स्टेशनों पर अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषाओं सहित हिन्दी में भी अनिवार्य रूप से उदघोषणाएं की जानी चाहिए ।

(vi) रेल मंत्रालयों के उपक्रमों/कारखानों द्वारा निर्मित उत्पाद का नाम तथा अन्य विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखे जाने चाहिए ।

(vii) रेल मंत्रालय और इसके सभी अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी से संबंधित पदों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों में इन पदों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के समान वेतनमान दिए जाने चाहिए और इन्हें समुचित पदोन्नति के अवसर दिए जाने चाहिए ।

(viii) रेल मंत्रालय की इस समय तीन आधिकारिक वेबसाइट मौजूद होने के कारण कई बार भ्रम की स्थिति पैदा होती है । अत: स्थिति स्पष्ट करने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा अपनी एक आधिकारिक वेबसाइट को ही प्रयोग में लाया जाना चाहिए और उसे पूर्णत: द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।

(ix) सभी रेल टिकटों में पूरी जानकारी द्विभाषी रूप में ही दी जानी चाहिए ताकि हिन्दी पढने समझने वाले जन साधारण को असुविधा न हो ।

(x) रेल मंत्रालय द्वारा दिए गए सभी विज्ञापन द्विभाषी रूप में जारी किए जाने चाहिए और विभिन्न रेल गाड़ियों के डिब्बों के अंदर और बाहर दिए जाने वाले विज्ञापनों में हिन्दी को समुचित स्थान दिया जाना चाहिए । विशेषकर रेलवे स्टेशनों और रेलवे परिसर में विज्ञापन संबंधी बैनर, होर्डिंग्स आदि अनिवार्य रूप से द्विभाषी होने चाहिए।

(xi) रेलवे बोर्ड द्वारा सभी निविदाओं की सूचना एवं फार्म द्विभाषी रूप में प्रकाशित किए जाने चाहिए ।

<u>संसदीय राजभाषा समिति के समक्ष विदेश मंत्रालय के सचिव और मंत्रालय के **08** नियंत्रणाधीन कार्यालयों के प्रमुखों का मौखिक साक्ष्य</u>

14.9 देश के बाहर हिन्दी का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और इस दिशा में पारपत्र कार्यालयों द्वारा निभायी जाने वाली अहम भूमिका को ध्यान में रखते हुए समिति ने दिनांक 14 फरवरी, 2008 को विदेश मंत्रालय के सचिव एवं इसके नियंत्रणाधीन 8 पासपोर्ट कार्यालयों के प्रमुखों को मौखिक साक्ष्य के लिए आमंत्रित किया । इस मौखिक साक्ष्य कार्यक्रम में शामिल अधिकारियों एवं कार्यालयों की सूची निम्नानुसार है --

1.	14 फरवरी, 2008	1. सचिव, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली 2. संयुक्त सचिव, (सीपीवी एवं सीपीओ) काउंसलर, पासपोर्ट एवं वीज़ा कार्यालय, नई दिल्ली 3. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कोलकाता 4. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, जयपुर 5. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, लखनऊ. 6. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, चंडीगढ 7. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, अहमदाबाद 8. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कोचीन 9. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गाजियाबाद

14.10 संसदीय राजभाषा समिति के समक्ष विदेश मंत्रालय के सचिव एवं मंत्रालय के 08 नियंत्रणाधीन कार्यालयों के प्रमुखों के साथ हुए मौखिक साक्ष्य के दृष्टिगत समिति निम्नलिखित सुझाव देती है --

(i) हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए विदेश मंत्रालय को एक समयबध्द कार्य योजना बनाकर उसे निष्पादित करना चाहिए ।

(ii) सभी पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा पासपोर्ट प्रपत्र द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराएं जाएंगे तथा आवेदकों द्वारा हिन्दी में भरे हुए प्रपत्र स्वीकार किए जाएंगे । जारी किए जाने वाले सभी पासपोर्टों में संपूर्ण प्रविष्टियां हिन्दी में भी की जानी चाहिए ।

(iii) मंत्रालय की वेबसाइट पर पासपोर्ट एवं वीजा संबंधी विस्तृत जानकारी एवं अन्य सूचना हिन्दी में भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए ।

(iv) विदेश मंत्रालय के विदेशों में स्थित अधीनस्थ कार्यालयों/दूतावासों इत्यादि में हिन्दी के पदों का सृजन किया जाना चाहिए । जिन कार्यालयों/दूतावासों में हिन्दी के पद रिक्त पड़े हुए हैं, उन्हें शीघ्रातिशीघ्र भरा जाना चाहिए ।

(v) विदेश सेवा के अधिकारियों को संघ सरकार की राजभाषा नीति एवं राजभाषा नियम और अधिनियम की पर्याप्त जानकारी देने के लिए उनके प्रशिक्षण पाठयक्रम में इन्हें शामिल किया जाना चाहिए ।

(vi) विदेश मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 'इंडिया पर्सपेक्टिवस' नामक उत्कृष्ट पुस्तक के अंक हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करणों की समान रूप से संख्या प्रकाशित की जानी चाहिए ।

(vii) सभी पासपोर्ट कार्यालयों में प्रयोग में लाए गए कंप्यूटरों पर हिन्दी में काम करने की सुविधा सुनिश्चित की जानी चाहिए और कंप्यूटरों पर कार्य भी मुख्यतया हिन्दी में ही किया जाना चाहिए ।

<u>संसदीय राजभाषा समिति के समक्ष नागर विमानन मंत्रालय के सचिव और मंत्रालय के 05 नियंत्रणाधीन कार्यालयों के प्रमुखों का मौखिक साक्ष्य</u>

14.11 वर्तमान युग में अत्याधुनिक हवाई यातायात के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में आए सकारात्मक परिवर्तन के कारण समाज के सभी वर्गों के लोग कम खर्च में हवाई यात्रा की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। एयर इंडिया (नैसिल) का देश भर में व्यापक नेटवर्क है और यह सीधे तौर पर देश-विदेश के लोगों से जुड़ा हुआ है । इसी क्रम में समिति ने दिनांक 06 सितम्बर, 2010 को नागर विमानन मंत्रालय एवं इसके पांच नियंत्रणाधीन कार्यालयों के प्रमुखों को मौखिक साक्ष्य के लिए बुलाया जिनका विवरण निम्नानुसार है -

क्रम सं0	दिनांक	मंत्रालयकार्यालय का नाम
1.	06 सितम्बर, 2010	**1.** सचिव**,** नागर विमानन मंत्रालय**,** नई दिल्ली 2. महानिदेशक, नागर विमानन महानिदेशालय नई दिल्ली 3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लि0 (नेसिल), मुम्बई 4. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली 5. अध्यक्ष प्रबन्ध निदेशक, पवनहंस हेलीकॉप्टर्स लि0, नई दिल्ली 6. निदेशक, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली, उ.प्र.

14.12 समिति ने दिनांक 6 सितम्बर**,** 2010 को नागर विमानन मंत्रालय के सचिव और उसके नियंत्रणाधीन कुछ संगठनों के अध्यक्षों का मौखिक साक्ष्य लिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संसदीय राजभाषा समिति के माननीय उपाध्यक्ष श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी ने की । इस साक्ष्य के दौरान समिति का ध्यान मुख्यतया सरकारी कामकाज से जुड़े मुददों पर केन्द्रित रहा परन्तु कहीं-कहीं समिति ने उन बिन्दुओं पर भी चर्चा की जो सरकारी होते हुए भी आम जनता से सरोकार रखते हैं । इस मौखिक साक्ष्य कार्यक्रम में जिन विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई उनका विवरण निम्नानुसार है -

(क) नागर विमानन मंत्रालय**,** नई दिल्ली के सचिव और इसके नियंत्रणाधीन पाँच संगठनों के अध्यक्षों के मौखिक साक्ष्य के दौरान एक सामान्य बात सामने आई कि सूचना क्रांति के आधुनिक युग में उक्त किसी भी संगठन की वेबसाइट द्विभाषी नहीं है और न ही इन्हें समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के आधुनिक युग में वेबसाइट की उपयोगिता निर्विवाद है । व्यापक जनसंपर्क के कार्य से जुड़े नागर विमानन मंत्रालय तथा इस साक्ष्य में शामिल विशाल नेटवर्क वाले इसके अन्य नियंत्रणाधीन संगठनों के लिए इंटरनेट जैसे आधुनिक साधनों का सदुपयोग करना अत्यंत

आवश्यक है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि समिति की दूसरी उप समिति द्वारा इस मंत्रालय से संबध्द विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों के समय-समय पर किए गए राजभाषा संबंधी निरीक्षणों के दौरान वेबसाइट पर हिन्दी में भी समस्त जानकारी उपलब्ध कराए जाने पर बल दिया जाता रहा है।

(ख) समिति ने नागर विमानन मंत्रालय और इसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों में हिन्दी के रिक्त पदों के महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। समिति के संज्ञान में आया कि नागर विमानन मंत्रालय में हिन्दी के **05** पद एक वर्ष से रिक्त पड़े हैं। इसी प्रकार नैसिल में हिंदी का पद रिक्त है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी में हिंदी का पद सृजित ही नहीं है। संभवत: यही कारण है कि अकादमी की प्रशिक्षण सामग्री शत प्रतिशत अंग्रेजी में है। इसके अतिरिक्त राजभाषा के संबंध में अन्य निर्धारित कार्य भी अपेक्षानुसार नहीं किए जा रहे हैं। हिंदी से संबंधित सभी पद संवैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाए गए हैं। इसलिए समिति ने जोर देकर कहा कि जिन संगठनों में हिंदी पद रिक्त हैं, उन्हें शीघ्रातिशीघ्र भरा जाना अपेक्षित है।

(ग) समिति ने इस बात पर असंतोष प्रकट किया कि मंत्रालय के सभी नियंत्रणाधीन कार्यालयों, विशेषकर नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नैसिल और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों को कम वेतनमान दिया जा रहा है तथा उन्हें पदोन्नति के उचित अवसर भी उपलब्ध नहीं है। समिति के संज्ञान में यह बात आई है कि नैसिल (पुराना नाम एअर इंडिया) में हिंदी का काम करने पर जोर देने वाले कर्मचारियों को उत्पादकता संबध्द आर्थिक लाभ से भी वंचित कर दिया जाता है। इस पर समिति ने अपनी कड़ी आपत्ति जताई है।

(घ) मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यालय नैसिल (एअर इंडिया) और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में क्रमश: 1043 और 30 कार्मिक हिन्दी प्रशिक्षण के लिए शेष पाए गए। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधीनस्थ कार्यालयों और विमानपत्तन निदेशक, कोलकाता तथा विमानपत्तन निदेशक, चेन्नई के कार्यालय में कुल 817 कार्मिक हिन्दी प्रशिक्षण के लिए शेष हैं। माननीय उपाध्यक्ष ने कहा कि कर्मचारियों के हिन्दी में प्रशिक्षित न होने की स्थिति में नागर विमानन मंत्रालय और इसके सभी अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा नीति के सुचारू कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध मानव संसाधन का इष्टतम उपयोग नहीं हो पा रहा है। समिति ने समयबध्द कार्यक्रम बनाकर यथाशीघ्र सभी कार्मिकों को हिन्दी में प्रशिक्षित करने पर बल दिया।

(ड) चूंकि, इस मौखिक कार्यक्रम में बुलाए गए नागर विमानन मंत्रालय और इससे संबध्द/अधीनस्थ पाँचों संगठन **"क"** क्षेत्र में स्थित हैं अत: राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2010-11 के अनुसार **"क", "ख"** और **"ग"** क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के साथ इनके द्वारा क्रमश: 100%, 100% तथा 65% पत्राचार किया जाना अपेक्षित है परंतु नैसिल को छोड़कर किसी भी कार्यालय ने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पत्राचार नहीं किया है जिससे राजभाषा का प्रगामी प्रयोग बाधित हो रहा है। समिति ने इस दिशा में अपेक्षित सुधार लाने पर बल दिया। राजभाषा संबंधी कार्यों पर निगरानी रखने के लिए केंद्र सरकार के हर छोटे बड़े कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन का प्रावधान है और उसकी बैठक कार्यालय प्रधान की अध्यक्षता में प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जानी अपेक्षित है। इस साक्ष्य के दौरान समिति ने पाया कि एकाधिक कार्यालयो में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित अंतराल पर नहीं हो रही हैं तथा राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों का हिंदी कार्य का प्रतिशत भी अपेक्षा से काफी कम है। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स, नोएडा में

कार्यालय प्रधान (अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक) की अध्यक्षता में बैठक आयोजित नहीं की जा रही है । समिति के ध्यान में एक और महत्वपूर्ण बात यह आई कि समिति की सिफारिशों के अनुरूप विज्ञापनों पर खर्च सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। समिति ने अपने प्रतिवेदन के आठवें खंड में सिफारिश की है कि विज्ञापनों पर होने वाले कुल खर्च का 50% हिंदी विज्ञापनों पर खर्च किया जाए और शेष 50% अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं पर किया जाए। साक्ष्य कार्यक्रम में शामिल संगठन पवन हंस हेलीकॉप्टर्स और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली द्वारा इस दिशा में सुधार किया जाना अपेक्षित है। समिति ने इस ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया।

(च) आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार होने, सरकार द्वारा कुछ विशेष श्रेणी के लोगों को हवाई यात्रा की सुविधाएँ देने और नागर विमानन के क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी बढने से और उनमें व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के कारण आम जनता भी अब हवाई यात्राएं करने लगी है। ऐसी स्थिति में यात्रा-टिकटों पर हिंदी में भी विवरण उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है (जिस प्रकार रेलवे टिकटों पर कराया जाता है) परंतु नैसिल द्वारा टिकटिंग कार्यों के लिए प्रयोग किए जाने वाले कम्प्यूटरों में हिंदी में कार्य करने की सुविधा ही उपलब्ध नहीं है फलत: इस कार्य के लिए केवल अंग्रेजी का ही प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार पवन हंस हेलीकॉप्टर्स द्वारा भी इस प्रयोजनार्थ केवल अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जा रहा है। समिति ने इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए इसमें सुधार लाने की जरूरत पर बल दिया। समिति ने नैसिल (नेशनल एविएशन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड) द्वारा प्रकाशनों के संबंध में एक गंभीर चूक की ओर भी कार्यालय का ध्यान आकर्षित किया। नियमानुसार किसी भी सरकारी प्रकाशन की प्रतियों और उनके मुद्रित पृष्ठों की संख्या हिंदी और अंग्रेजी में समान होनी चाहिए परंतु नैसिल प्रकाशन "स्वागत" की अंग्रेजी में 60,000 प्रतियां मुद्रित कराई जा रही हैं जबकि हिंदी में केवल 10,000 प्रतियां मुद्रित कराई जा रही हैं। स्वागत पत्रिका के अंग्रेजी पृष्ठों की संख्या 120 और हिंदी पृष्ठों की संख्या मात्र 30 है और इसी प्रकार "नमस्कार" नामक दूसरी पत्रिका में हिंदी के मुद्रित पृष्ठ मात्र 9 हैं जबकि अंग्रेजी के मुद्रित पृष्ठों की संख्या 128 है। इस प्रकार समिति ने पाया कि प्रकाशन संबंधी नियम का घोर उल्लंघन किया जा रहा है।

(छ) समिति के सभी सदस्यों ने दूसरी उपसमिति की निरीक्षण बैठकों में मंत्रालय से संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी के उपस्थित न होने पर आपत्ति की तथा समिति की जानकारी में यह बात भी लाई गई कि संयुक्त सचिव को निरीक्षण बैठक में उपस्थित न रहने की छूट लेने के लिए मंत्री स्तर पर भी पत्राचार किया। समिति ने इसे अनुचित मानते हुए इसकी भर्त्सना की।

14.13 साक्ष्य से उभरे उपर्युक्त बिन्दुओं के मद्देनजर समिति निम्नलिखित सुझाव देती है--

(i) राजभाषा नीति का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय और इसके सभी नियंत्रणाधीन कार्यालयों में उपलब्ध मानव संसाधन का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए।

(ii) नैसिल और पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि0 द्वारा सभी टिकटों पर हिंदी का समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(iii) मंत्रालय के सभी नियंत्रणाधीन कार्यालयों में राजभाषा हिंदी से जुड़े सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को समुचित वेतनमान एवं पदोन्नति के उचित अवसर दिए जाने चाहिए और उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए।

(iv) भविष्य में समिति की राजभाषा संबंधी सभी निरीक्षण बैठकों में मंत्रालय की ओर से संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(v) मंत्रालय के सभी नियंत्रणाधीन कार्यालयों में हिन्दी में अप्रशिक्षित कार्मिकों को प्रशिक्षण देने तथा रिक्त पड़े हुए हिंदी पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरने के लिए समयबध्द कार्रवाई की जानी चाहिए।

(vi) मंत्रालय द्वारा हिंदी भाषा प्रशिक्षण केलिए शेष अधिकारियों/कर्मचारियों को समयबध्द प्रशिक्षण देकर इन्हें हिंदी कार्यशालाओं में नामित किया जाना चाहिए।

(vii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी**,** रायबरेली में निर्धारित मानदंडों के अनुसार हिंदी का एक पद सृजित किया जाना चाहिए और अकादमी की संपूर्ण प्रशिक्षण सामग्री हिन्दी में भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए ।

(viii) नैसिल द्वारा प्रकाशित की जा रही पत्रिकाओं **"**स्वागत**"** और **"**नमस्कार**"** के हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों की सामग्री एवं उनकी प्रतियां समान होनी चाहिए ताकि सभी यात्रियों को इन पत्रिकाओं का हिन्दी संस्करण आसानी से उपलब्ध हो सके ।

(ix) मंत्रालय और इसके सभी नियंत्रणाधीन कार्यालयों की वेबसाइट द्विभाषी रूप में होनी चाहिए और वेबसाइट को अद्यतन करते समय हिंदी के पृष्ठों को भी अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना चाहिए।

<u>संसदीय राजभाषा समिति के समक्ष सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा इसके **06** नियंत्रणाधीन कार्यालयों के प्रमुखों का मौखिक साक्ष्य</u>

14.14 प्रसारण, विज्ञापन, मनोरंजन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से समाचार सेवाओं की अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के वर्तमान युग में हिन्दी का महत्व और उपादेयता निर्विवाद है। इसी परिप्रेक्ष्य में समिति ने संसदीय राजभाषा समिति द्वारा दिनांक 7 सितम्बर, 2010 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और इनके नियंत्रणाधीन कार्यालयों के प्रमुखों को मौखिक साक्ष्य के लिए बुलाया जिनका विवरण निम्नानुसार है:

दिनांक	मंत्रालयविभाग का नाम
07 सितम्बर, 2010	**1.** सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय**,** नई दिल्ली 2. विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, नई दिल्ली 3. महानिदेशक, आकाशवाणी महानिदेशालय, नई दिल्ली 4. दूरदर्शन महानिदेशालय, नई दिल्ली 5. प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली 6. फिल्म समारोह निदेशालय, नई दिल्ली 7. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि0, मुम्बई

14.15 मौखिक साक्ष्य बैठक की अध्यक्षता समिति के माननीय उपाध्यक्ष श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी ने की । उक्त बैठक में सातों कार्यालयों के कार्यालय अध्यक्षों के साथ समिति के सदस्यों द्वारा विस्तार से चर्चा की गई । चर्चा में जो मुख्य बिन्दु उभर कर आए वे निम्नानुसार हैं:-

(क) समिति ने विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी0ए0वी0पी0) के कार्यालय प्रमुख से चर्चा करते हुए यह उल्लेख किया कि समिति द्वारा किए जाने वाले राजभाषा संबंधी निरीक्षणों के दौरान

निरीक्षणाधीन कार्यालय विज्ञापन एवं प्रचार पर किए गए कुल व्यय का क्षेत्रवार और भाषावार विवरण समिति को उपलब्ध नहीं करा पाते हैं क्योंकि विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी0ए0वी0पी0) उन्हें यह ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराता है । समिति ने इसे गंभीरता से लेते हुए इस विषय पर विस्तार से चर्चा की । सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अक्तूबर, 2007 से लागू की गई नई विज्ञापन नीति पर और विशेष रूप से उसके अनुच्छेद-3 में उल्लिखत प्रावधानों पर समिति के सदस्यों ने असंतोष जताया । इस विषय पर विशेष जोर दिया गया कि समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार सभी मंत्रालयों / कार्यालयों को विज्ञापन की कुल राशि का न्यूनतम 50 प्रतिशत हिन्दी विज्ञापनों पर व्यय करना चाहिए । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए समिति के माननीय उपाध्यक्ष की ओर से सचिव, राजभाषा विभाग को एक अ0शा0 पत्र भेजा गया है।

(ख) समिति ने संविधान की आठवीं अनुसूची में नेपाली भाषा को शामिल किए जाने के बावजूद आकाशवाणी महानिदेशालय के विदेश सेवा प्रभाग द्वारा नेपाली को विदेशी भाषा का दर्जा दिए जाने के मुददे पर विचार-विमर्श किया । इसके अतिरिक्त नेपाली, फ्रेंच एवं अन्य विदेशी भाषाओं के अनुवादक सह-उदघोषकों और हिन्दी के अनुवादक सह-उदघोषकों के वेतनमान में असमानता पर असंतोष जताया समिति ने यह मत व्यक्त किया कि हिन्दी के अनुवादक सह-उदघोषकों को विदेशी भाषाओं के अनुवादक सह-उदघोषकों के समान वेतनमान दिया जाना चाहिए । महानिदेशक, आकाशवाणी ने समिति को बताया कि निकट भविष्य में प्रसार भारती बोर्ड द्वारा अनुवादक सह-उदघोषक के पदों के लिए नए भर्ती नियम बनाए जाएंगे । इस संबंध में समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए समिति के माननीय उपाध्यक्ष की ओर से अध्यक्ष, प्रसार भारती बोर्ड को पत्र लिखा गया है ।

(ग) समिति ने नैमित्तिक (कैजुअल) हिन्दी समाचार वाचकों को नैमित्तिक अंग्रेजी समाचार वाचकों की तुलना में कम पारिश्रमिक दिए जाने के बारे में जानना चाहा । महानिदेशक, आकाशवाणी ने बताया कि दोनों को समान पारिश्रमिक दिया जा रहा है । समिति ने दूरदर्शन महानिदेशक से यह भी जानना चाहा कि दूरदर्शन के डी डी न्यूज चैनल पर खेल समाचार बुलेटिन पढने हेतु कार्यरत अधिकारी से यह कार्य न कराकर किसी अन्य अधिकारी से क्यों कराया जाता है। इस संबंध में महानिदेशक, दूरदर्शन ने समिति सचिवालय को भेजे गए पत्र में यह स्पष्ट किया है कि अनुबंधों के अनुरूप समय की माँग को देखते हुए उक्त अधिकारियों की सेवाओं का विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जा सकता है ।

(घ) समिति ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन भारतीय जनसंचार संस्थान (आई0आई0एम0सी0) में कार्यरत हिन्दी अधिकारी को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतनमान नहीं दिए जाने पर असंतोष व्यक्त किया । इस संबंध में सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने समिति को बताया कि भारतीय जन संचार संस्थान (आई0आई0एम0सी0) की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर मंत्रालय इसे आवश्यक कार्रवाई हेतु वित्त मंत्रालय को अग्रेषित कर देगा।

(ड) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक अन्य कार्यालय भारतीय प्रेस परिषद में लगभग 18 साल से राजभाषा का काम देख रही वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक को अभी तक पदोन्नति न दिए जाने को समिति ने काफी गंभीरता से लिया । समिति ने सलाह दी कि राजभाषा का काम देख रहे कर्मचारियों

को समुचित पदोन्नति एवं प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि उनका मनोबल कम न हो। इस संबंध में सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आवश्यक कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है ।

(च) समिति ने आकाशवाणी और दूरदर्शन महानिदेशालय के अधीनस्थ कार्यालयों में बडी संख्या में रिक्त पडे हिन्दी पदों को भरने हेतु इन कार्यालयों द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में जानना चाहा । समिति ने सुझाव दिया कि सभी आकाशवाणी केन्द्रों एवं दूरदर्शन केन्द्रों में रिक्त पड़े हिन्दी पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाना चाहिए ताकि इन महत्वपूर्ण कार्यालयों में राजभाषा नीति का सुचारू रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके ।

(छ) प्रकाशन विभाग द्वारा सरकारी कार्यालयों के लिए मूल नियमों एवं अनुपूरक नियमों (एफ आर एवं एस आर) के संकलन का हिन्दी में प्रकाशन न किए जाने पर समिति ने अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग से चर्चा की । समिति ने आग्रह किया कि उपर्युक्त नियमों एवं उप नियमों के हिन्दी संस्करण का प्रकाशन किया जाना चाहिए ताकि केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालय/कार्यालय इससे लाभान्वित हो सकें ।

(ज) आकाशवाणी के एफ एम गोल्ड चैनल पर अंग्रेजी जिंगल बजाए जाने को लेकर समिति के सभी सदस्यों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसे हिन्दी में तैयार कराकर प्रसारित करने की व्यवस्था कराने के लिए कहा गया । इस संबंध में उल्लेखनीय है कि समिति सचिवालय को आकाशवाणी द्वारा भेजी गई एफ एम रेनबो की हिन्दी जिंगल की सीडी प्राप्त हो गई है। पत्र में बताया गया है कि इसका प्रसारण 23 दिसम्बर, 2010 से शुरू किया जाएगा ।

(झ) समिति ने एन एफ डी सी द्वारा निर्मित क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों की हिन्दी में डबिंग कराने की कोई व्यवस्था न होने पर असंतोष प्रकट किया । समिति के सभी सदस्यों ने एन एफ डी सी द्वारा निर्मित फिल्मों के निर्माण में पहले चरण में फिल्मों की पटकथा अंग्रेजी भाषा में होने से संबंधित निगम के फिल्म निर्माण संबंधी उप नियमों की आलोचना की । समिति के सभी सदस्यों ने उप महाप्रबन्धक, एन एफ डी सी द्वारा समिति को दिए गए उत्तरों के प्रति भी असंतोष प्रकट किया ।

14.16 साक्ष्य के उपर्युक्त बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में समिति निम्नलिखित सुझाव देती है-

(i) समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार सभी मंत्रालयों/कार्यालयों को विज्ञापन की कुल राशि का न्यूनतम **50** प्रतिशत व्यय हिन्दी विज्ञापनों पर करना चाहिए । सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अक्तूबर**, 2007** से लागू नई विज्ञापन नीति में समिति की उक्त सिफारिश के अनुसार समुचित संशोधन किया जाए ।

(ii) आकाशवाणी महानिदेशालय द्वारा हिन्दी के सभी अनुवादक-सह-उदघोषकों को नेपाली**,** फ्रेंच एवं अन्य विदेशी भाषाओं के अनुवादक-सह-उदघोषकों के समान वेतनमान दिया जाए।

(iii) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यालय नामत: भारतीय जनसंचार संस्थान में कार्यरत हिन्दी अधिकारी को छठे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुरूप वेतनमान दिया जाना चाहिए । इसी प्रकार मंत्रालय के एक अन्य नियंत्रणाधीन कार्यालय भारतीय प्रेस परिषद में कार्यरत हिन्दी का कार्य देख रहे कर्मचारी को नियमानुसार समुचित पदोन्नति दी जानी चाहिए ।

(iv) देश भर में स्थित विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों एवं दूरदर्शन केन्द्रों की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत इनमें लंबे समय से रिक्त पड़े हिन्दी पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए।

(v) आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के सभी केन्द्रों द्वारा हिन्दी में प्रसारित कार्यक्रमों की अवधि निश्चित की जानी चाहिए ।

(vi) प्रकाशन विभाग द्वारा केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों एवं कार्यालयों के लिए मूल नियमों एवं अनुपूरक नियमों (एफ आर एंड एस आर) के संकलन का हिन्दी प्रकाशन किया जाना चाहिए और इसे सर्वसुलभ बनाया जाना चाहिए ।

(vii) मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यालय फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा देश में आयोजित किए जाने वाले सभी फिल्म समारोहों में प्रदर्शित की जाने वाली फिल्मों की हिन्दी में डबिंग/सबटाइटलिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उत्कृष्ट फिल्मों के जरिए दर्शकों को हिन्दी से जोड़ा जा सके।

(viii) मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यालय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा निर्मित क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों की हिन्दी में डबिंग/सबटाइटलिंग कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही, निगम द्वारा फिल्म निर्माण संबंधी अपने उपनियमों में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि निगम द्वारा निर्मित फिल्मों के निर्माण के प्रथम चरण में फिल्मों की पटकथा हिन्दी में भी तैयार की जा सके और सभी संबंधितों को सुलभ कराई जा सके ।

<u>संसदीय राजभाषा समिति के समक्ष कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय एवं इसके चार नियंत्रणाधीन कार्यालयों के प्रमुखों का मौखिक साक्ष्य</u>

14.17 केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए नीति का निर्धारण और सभी संबंधितों द्वारा उसका अनुपालन सुनिश्चित करने की महती जिम्मेदारी कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की है । यह विभाग न सिर्फ केन्द्र सरकार के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए नियुक्ति एवं सेवा शर्तें, तैनाती, स्थानांतरण एवं प्रतिनियुक्ति संबंधी नियम निर्धारित करता है बल्कि यथावश्यकतानुसार समय-समय पर महत्वपूर्ण आदेश, कार्यालय ज्ञापन एवं परिपत्र आदि भी जारी करता है। इसके दृष्टिगत समिति ने दिनांक 08 सितम्बर 2010 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और उनके निम्नलिखित नियंत्रणाधीन कार्यालयों के प्रमुखों का मौखिक साक्ष्य कार्यक्रम आयोजित किया:

दिनांक	मंत्रालय/विभाग का नाम
08 सितम्बर, 2010	**1.** सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली 2. अध्यक्ष, कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली 3. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली 4. अध्यक्ष, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड, नई दिल्ली 5. निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, उत्तरांखंड

14.18 मौखिक साक्ष्य बैठक की अधयक्षता समिति के माननीय उपाधयक्ष श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी द्वारा की गई। उक्त बैठक में पांचों कार्यालयों के कार्यालय अध्यक्षों के साथ समिति के सदस्यों द्वारा विस्तार से चर्चा की गई। विचार विमर्श के दौरान समिति के माननीय सदस्यों ने विशेषकर सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा प्रस्तुत की गई प्रश्नावली और उसमें दिए गए उत्तरों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। समिति के तीन माननीय सदस्य सर्वश्री रमेश बैस, प्रभात झा और अशोक अर्गल ने इस पर अपना असंतोष प्रकट किया और

वे बैठक स्थल से उठकर चले गए। तद्उपरान्त सचिव, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड ने समिति को आश्वासन दिया कि वह प्रश्नावली पुन: भर कर समिति सचिवालय को प्रेषित करेंगे। चर्चा में जो मुख्य बिन्दु उभर कर आये वे निम्न प्रकार से हैं-

(क) समिति द्वारा यह देखने में आया कि सभी विभाग 'क' क्षेत्र में स्थित होने एवं पर्याप्त मात्रा में हिंदी में प्रवीण और कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले अधिकारी/कर्मचारी होने के बावजूद भी हिंदी में अपना अधिकतर कार्य (75 प्रतिशत से अधिक करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। अत: यह कहा जा सकता है कि उपलब्ध मानव संसाधन का सदुपयोग नहीं किया जा रहा है।

(ख) इसके अतिरिक्त, पांचों विभागों में से किसी भी विभाग ने राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2010-11 में निर्धारित पत्राचार के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया । किसी भी विभाग की वेबसाईट पूर्णत: द्विभाषी रूप में उपलब्ध नहीं है जिससे हिन्दी समझने वालों को असुविधा होती है।

(ग) समिति के संज्ञान में आया कि किसी भी संगठन में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की अधयक्षता अपेक्षित अधिकारी अर्थात विभागाध्यक्ष द्वारा नहीं की जा रही है और इन बैठकों को प्रत्येक तिमाही में नियमित अंतराल पर आयोजित भी नहीं किया जा रहा है।

(घ) विज्ञापनों के विषय में भी यह देखने में आया कि विज्ञापनों पर व्यय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा आठवें खण्ड में की गई संस्तुति के अनुरूप नहीं किया जा रहा है।

(ड.) कुछ संगठनों में हिंदी के पद रिक्त पड़े हुए हैं जिसके कारण वहां राजभाषा के कार्य का सुचारू निष्पादन करने में स्वाभाविक रूप से बाधा आ रही है । इसके अतिरिक्त कुछ संगठनों में अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण के लिये भेजा जाना शेष है।

14.19 मौखिक साक्ष्य के आधार पर उपर्युक्त के परिपेक्ष्य में समिति निम्नलिखित सुझाव देती है-

(i) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले सभी कार्यालय आदेश/कार्यालय ज्ञापन/परिपत्र आदि को विभाग की वेबसाइट पर हिंदी में भी तत्काल उपलब्ध कराया जाना चाहिए और वेबसाइट पर दी गई सूचना को अद्यतन करते समय इसके हिन्दी पाठ को भी उसी समय अद्यतन किया जाना चाहिए ।

(ii) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी सभी कार्यालय आदेश/कार्यालय ज्ञापन/परिपत्र आदि का संकलन द्विभाषी रूप में प्रकाशन विभाग के माधयम से प्रकाशित कराया जाना चाहिए और इसे सर्वसुलभ बनाया जाना चाहिए **A**

(iii) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का नियंत्रणाधीन संगठन है जो प्रशासन एवं लोक नीति के अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारत का अग्रणी संस्थान है जिसका मुख्य कार्य भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। अकादमी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रशिक्षण सामग्री शत प्रतिशत द्विभाषी रूप में उपलब्ध करायी जानी चाहिए ।

(iv) समिति का सुझाव है कि अकादमी अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षार्थियों को अन्य विषयों के साथ-साथ संघ सरकार की राजभाषा नीति और राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों के विषय में भी प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करे ताकि सभी अधिकारी अपनी नियुक्ति वाले कार्यालय में राजभाषा नीति के सुचारू कार्यान्वयन की निगरानी स्वयं कर सकें **A**

(v) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा देश भर में स्थित विभिन्न कार्यालयों में रिक्त पड़े हुए हिन्दी पदों को तत्काल भरने के लिए ठोस एवं कारगर कार्य योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करना चाहिए ।

(vi) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित अंतर्विभागीय परीक्षाओं में हिन्दी आशुलिपिकों के लिए अंग्रेजी प्रश्न पत्र अनिवार्य नहीं होना चाहिए**A**

(vii) एक समयबध्द कार्यक्रम बनाकर कर्मचारी चयन आयोग के अधीन इनके सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी प्रशिक्षण के लिए शेष अधिकारियों /कर्मचारियों को शीघ्रातिशीघ्र प्रशिक्षण दिलवाया जाए तथा इन कार्यालयों को राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किया जाए।

(viii) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित समस्त परीक्षाओं में हिंदी भाषा का विकल्प उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है जिसका कारण परीक्षाओं का तकनीकी विषय होना बताया गया है। समिति इस कारण को स्वीकार नहीं करती है और यह सुझाव देती है कि प्रतिभाशाली हिन्दी भाषी परीक्षार्थियों को समुचित अवसर देने के लिए आयोग द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में हिंदी का विकल्प उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(ix) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए प्रबंधकीय नीति का निर्धारण करने एवं इन उद्यमों के लिए वरिष्ठ प्रबंधकीय पदों पर नियुक्ति हेतु सरकार को सलाह देने के लिए गठित सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा सभी विज्ञापन द्विभाषी रूप में प्रकाशित किए जाने चाहिए**A**

अत: समिति पूर्वोल्लिखित पैरा सं. 14.8 (i) से (xi), 14.10 (i) से (vii), 14.13 (i) से (ix), 14.16 (i) से (viii) और 14.19 (i) से (ix) में उल्लिखित सिफारिशें करती है।